

छत्तीसगढ़ शासन



वर्ष 2016–2017

के

बजट पत्रों का संक्षिप्त विवरण

अनुकमणिका

<u>क्रमांक</u>	<u>विवरण</u>	<u>कण्डकाएं</u>
01 वार्षिक वित्तीय विवरण		01-07
02 लेखाओं का वर्गीकरण		08-09
03 अनुदानों की मांगें		10-11
04 वित्त सचिव का स्मृति-पत्र		12
05 खंड एक - वित्त विवरण		13
06 खंड दो - राजस्व प्राप्तियां तथा लोक लेखा के विस्तृत विवरण		14
07 खंड तीन - अनुदानों की मांगें (संक्षिप्त)		15
08 खंड चार - विभिन्न बजट शीर्षों में मांगों के अनुसार किये गये प्रावधानों की सूची		16
09 खंड पांच - राज्य शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण		17
10 खंड छः - राज्य शासन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को दिया गया अंतरण		18
11 खंड सात - राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को दिया गया अंतरण		19
12 विस्तृत मांग संख्यावार बजट पुस्तिकाएं		20
13 परिणामी बजट		21
14 जेन्डर बजट		22
15 कृषि बजट		23
16 युवा बजट		24
17 विनियोग विधेयक		25

वर्ष 2016-2017 के बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय

वार्षिक वित्तीय विवरण

संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। “वार्षिक वित्तीय विवरण” नामक यह विवरण मुख्य बजट-दस्तावेज होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों को तीन भागों में, जिनके अनुसार सरकारी लेखे रखे जाते हैं, दिखाया जाता है। ये भाग इस प्रकार है :- (1) संचित निधि (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

2. सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्वों से, सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों से और उसके द्वारा दिये गये ऋणों की वसूलियों से जो धनराशियां प्राप्त होती हैं वे सब “संचित निधि” में दिखाई जाती हैं। सरकार का सभी व्यय संचित निधि से किया जाता और जब तक विधान सभा की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक इस निधि में से कोई भी राशि खर्च नहीं की जा सकती है।

3. कभी-कभी ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब सरकार को विधान सभा की स्वीकृति मिलने के पहले ही कुछ ऐसा अत्यन्त आवश्यक व्यय करना पड़ता है जिसका पहले से अनुमान नहीं रहता तथा जिस व्यय का किया जाना लोकहित की दृष्टि से अपरिहार्य हो एवं जिसे टाला जाना संभव न हो। इस तरह का व्यय आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर किया जाता है। यह निधि अग्रदाय के रूप में राज्यपाल के पास रहती है। इस प्रकार आकस्मिकता निधि से जो राशि खर्च की जाती है उसके बारे में, बाद में विधान सभा का अनुमोदन ले लिया जाता है और विधान सभा की स्वीकृति से संचित निधि में से उतनी ही राशि निकाल कर वापस आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है। निधि की कुल राशि 100 करोड़ रुपये है।

4. सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, जिनका संबंध संचित निधि से होता है, सरकारी खातों में कुछ अन्य लेन-देनों जैसे भविष्य निधियों के संबंध में लेन-देन, कर्मचारी समूह बीमा योजना, अन्य जमा आदि का हिसाब भी रखा जाता है। सरकार इन लेन-देनों के संबंध में लगभग बैकर के रूप में कार्य करती है। इस तरह जो राशियां प्राप्त होती हैं उन्हें लोक लेखा में दिखाया जाता है और संबंधित संवितरण इसी राशि में से निकाल कर किया जाता है। आम तौर से लोक लेखा में दिखाई जाने वाली राशि सरकार की निधियां नहीं होती, क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जो इसे जमा कराते हैं वापस देना होती है। इसलिये लोक लेखा से अदायगी करने के लिये विधान सभा की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता है। सरकार की

आय का कुछ भाग, कुछ मामलों में, खास-खास कार्यों के लिये, जैसे विद्युत विकास निधियां अन्य विकास और कल्याण निधि आदि के लिये अलग-अलग आरक्षित निधियों में अलग निकाल कर रख दिया जाता है। यह राशि विधान सभा की स्वीकृति लेकर संचित निधि से निकाली जाती है और विशेष कार्यों पर व्यय किये जाने के लिये लोक लेखा में जमा रखी जाती है। फिर भी, कार्य-विशेष पर जो व्यय किया जाता है उसे विधान सभा के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिये फिर प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि यह राशि निधियों को अंतरित किये जाने के लिये पहले ही विधान सभा द्वारा निर्धारित की हुई होती है।

5. संविधान के अनुसार, बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना होता है। इसलिये सरकार का बजट (1) राजस्व बजट और (2) पूँजी बजट, दो भागों में बंटा होता है।

6. राजस्व बजट में सरकार को राजस्व (कर-राजस्व और अन्य राजस्व) से होने वाली आय तथा इन राजस्वों से किया जाना वाला व्यय शामिल होता है। कर-राजस्व में राज्य द्वारा लगाये गये करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में दशाये गये राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में वित्त मंत्री के भाषण में किये गये कराधान संबंधी प्रस्तावों का प्रभाव शामिल होता है। सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूँजी पर ब्याज और लाभांश, फीस तथा सरकार द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिये अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज प्रभारों, आर्थिक सहायता आदि पर होता है। मोटे तौर पर ऐसे सभी व्यय जिनसे किसी परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं हो, राजस्व माना जाता है। स्थानीय निकायों, अन्य पार्टियों/संस्थाओं को दिये जाने वाले सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं यद्यपि ऐसे कुछ अनुदान परिसम्पत्तियों के सूजन के लिये हो सकते हैं।

7. पूँजी बजट में पूँजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं। पूँजीगत प्राप्तियों की मुख्य मद्देय है :- सरकार द्वारा जनता से लिये गये उधार जिन्हें बाजार ऋण कहा जाता है, राजकोषीय हुंडियों की बिक्री मार्फत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिये जाने वाले उधार, भारत सरकार और संस्थाओं से प्राप्त उधार से होने वाली वसूलियां। पूँजीगत भुगतान में ये मद्देय शामिल होती है:- जमीन, भवनों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों की प्राप्ति पर किये जाने वाला पूँजी व्यय, सरकारी निगमों और अन्य पार्टियों आदि को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले उधार और अग्रिम। पूँजी बजट में लोक ऋण के लेन-देन भी शामिल होते हैं।

लेखाओं का वर्गीकरण

8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और भुगतान के अनुमान लेखाओं के वर्गीकरण की उसी प्रणाली के अनुसार दिखाये जाते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत निहित है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य विधायक और जनता को यह समझने में

सहायता देना है कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है और इस तरह खर्च करने में सरकार के उद्देश्य क्या है।

9. संविधान के अनुसार, व्यय की कुछ मद्दें, जैसे राज्यपाल की परिलिंग्धियाँ, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायधीशों और अमले के वेतन, भत्ते और पेंशनें, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन भत्ते, सरकार द्वारा लिये गये उधारों के ब्याज और उनकी वापसी-अदायगियों और अदालती डिक्रियों के संबंध में की गई अदायगियाँ, संचित निधि पर भारित होती है और इन्हें विधान सभा को स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर भारित व्यय को अलग से दिखाया जाता है।

अनुदानों की मांग

10. वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि से किये जाने वाले व्यय के अनुमान दिये गये हैं। ये अनुमान संविधान के अनुच्छेद 203 (2) के अनुसरण में अनुदानों की मांगों के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं और इनकी स्वीकृति विधान सभा से लेनी होती है। समान्यतः प्रत्येक विभाग के संबंध में एक मांग प्रस्तुत की जाती है। लेकिन कुछ विभागों के संबंध में एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं। प्रायः प्रत्येक मांग में एक सेवा के लिये कुल आवश्यक व्यवस्था दी गई होती है अर्थात् इसमें राजस्व से किया जाने वाला व्यय, पूँजी व्यय, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपकरणों को दिये जाने वाले अनुदान और उस सेवा के संबंध में उधारों और अग्रिमों के लिये की गई व्यवस्था शामिल होती है। जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से संचित निधि पर भारित व्यय के लिये होती है, जैसे ब्याज की अदायगियाँ, तो उस व्यय के लिये, मांग से बिल्कुल भिन्न, एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिये विधान सभा से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें मतदेय एवं भारित दोनों मुद्दे शामिल हों, तो उस सेवा के लिये प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन मतदेय और भारित व्यय इस मांग में अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

11. अनुदानों की मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ विधान सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक मांग में उपर की ओर पहले “मतदेय” और “भारित” व्यय तथा साथ ही मांग में सम्मिलित “राजस्व” और “पूँजी” व्यय के अलग-अलग योग दिखाए जाते हैं। इसके अलावा जिस व्यय के लिये मांग प्रस्तुत की जाती है उसका कुल योग भी उसमें दिखाया जाता है। इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत व्यय के अनुमान दिये जाते हैं। प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय का आयोजना और आयोजनेतर विभाजन भी दिखाया जाता है। वर्गीकरण में व्यय में से घटाई गई वसूलियाँ भी दिखाई जाती हैं। पुस्तक के प्रारंभ में अनुदानों की मांगों का सारांश भी दिया जाता है तथा इसके अंत में “नई सेवा” अथवा “नई सेवा के साधनों” जैसे कि नए वाहन का क्रय अथवा नई योजना

का शुरू किया जाना तथा स्वीकृत पदों के वेतनमान की अनुसूची आदि का विवरण भी दिया जाता है। साथ ही प्रत्येक विभाग के लिए निर्धारित “अनुदान की मांगों” की पुस्तक में वर्णित विभागीय योजनाओं का विवरण भी दिया जाता है, जिससे विधायकों एवं आम जनता को योजना के उद्देश्य के विषय में जानकारी सुलभ हो सके। इन जानकारियों के अतिरिक्त विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों, कार्यभारित, आकस्मिकता स्थापना, स्थायी गैंग व श्रमिकों की जानकारी भी दिया जा रहा है। विभाग के पास उपलब्ध संसाधन के रूप में वाहन, दूरभाष, कम्प्यूटर, मशीनरी इत्यादि की जानकारी भी दी जा रही है।

विभागीय संरचना एवं कार्यप्रणाली में सहायक अधीनस्थ निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग की स्वीकृत संरचना की जानकारी भी दी जा रही है।

वित्त सचिव का स्मृति-पत्र

12. वित्त सचिव के स्मृति-पत्र में राजस्व प्राप्तियां (कर एवं करेत्तर) राजस्व व्यय, पूंजी व्यय का संक्षेप, आयोजना तथा आयोजनेत्तर व्यय पृथक-पृथक दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त लोक ऋण, ऋण तथा अग्रिम तथा लोक लेखा से संबंधित प्राप्तियां तथा संवितरण की संकलित जानकारी दर्शायी जाती है। जिससे हमें एक ही स्थान पर राजस्व घाटा/आधिक्य तथा संचित निधि पर कमी/आधिक्य तथा अंत में बजटीय घाटा/आधिक्य की स्थिति ज्ञात हो जाती है।

उपरोक्त के अलावा राज्य की आयोजना हेतु राज्य के संसाधन तथा केन्द्र से राज्य को प्राप्त होने वाली सहायता का संकलित विवरण भी दिया जाता है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों तथा ऋण पत्रों में किये गये धनवेष्ठन की जानकारी भी दी जाती है।

बजट खंड - एक

13. बजट के इस खंड में राज्य की राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा लोक लेखा के संबंध में संकलित निबल राशियों की जानकारी दी जाती है। व्यय का आयोजनेत्तर तथा आयोजना विवरण मुख्य शीर्षवार दिया जाता है।

बजट खंड - दो

14. राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों (कर तथा करेत्तर) तथा लोक लेखा के विस्तृत विवरण इस खंड में दिये जाते हैं। राजस्व प्राप्तियों के लोक लेखा के संबंध में स्पष्टीकरणात्मक टीप भी दी जाती है।

बजट खंड - तीन

15. विभिन्न विभागों के आयोजनेत्तर, आयोजना संबंधी व्यय का संक्षिप्त मांग संख्यावार तथा मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष वार योग दर्शाया जाता है तथा व्यय के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरणात्मक टीप भी दी जाती है।

बजट खंड - चार

16. इस खंड में विभिन्न मुख्य शीर्षों में व्यय हेतु प्रावधानित राशियों का मांग संख्यावार विवरण (कुल वसूली एवं शुद्ध के विवरण सहित) संबंधी जानकारी दी जाती है। इस खण्ड में “नई सेवा” अथवा “नई सेवा के साधनों” की जानकारी का संकलन भी दिया जाता है।

बजट खंड - पांच

17. इस खंड में राज्य शासन द्वारा विभिन्न एजेन्सीयों के पक्ष में दी गई प्रत्याभूतियों के विवरण संबंधी जानकारी दी जाती है।

बजट खंड - छः

18. इस खंड में राज्य शासन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को दिया गया अंतरण दर्शाया जाता है।

बजट खंड - सात

19. इस खंड में राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों को दिया गया अंतरण दर्शाया जाता है।

विभिन्न मांग संख्यावार बजट पुस्तिकाएं

20. विभिन्न विभागों के आयोजनेतर तथा आयोजना व्यय से संबंधित अनुमान का मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष तथा योजनावार विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग के लिये पृथक- पृथक मांग संख्यावार दिया जाता है तथा योजनाओं का संक्षिप्त विवरण भी दिया जाता है।

परिणामी बजट

21. विभिन्न विभागों के आयोजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति की समीक्षा के लिये प्रायोगिक तौर पर कतिपय मापदंड निर्धारित किये गये हैं। इन मापदंडों के आधार पर विभागीय योजनाओं के परिमापात्मक संकेतांकों को “परिणामी बजट” के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

जेन्डर बजट

22. विभिन्न विभागों के आयोजना से संबंधित योजनाओं में महिला घटक हेतु लाभावान्ति हितग्राहियों की संख्या को पृथक रूप से दर्शाने हेतु योजनाओं का चिन्हाकन किया

गया है। इस आधार पर ऐसी योजनायें जो शत-प्रतिशत महिला हितग्राहियों के लिये हैं तथा वे योजनायें जिसमें महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत से ज्यादा है को पृथक रूप से “जेन्डर बजट” के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

कृषि बजट

23. इस पुस्तिका में कृषि क्षेत्र के विकास एवं कृषकों के हित में संचालित गतिविधियों का समावेश किया गया है एवं इन गतिविधियों पर व्यय की जानकारी शामिल की गई है।

युवा बजट

24. विभिन्न विभागों के आयोजना से संबंधित योजनाओं में युवा केन्द्रित एवं 50 प्रतिशत से अधिक संख्या में लाभावान्ति हितग्राहियों की संख्या को पृथक रूप से दर्शाने हेतु योजनाओं का चिन्हाकन किया गया है। इस आधार पर ऐसी योजनायें जो शत-प्रतिशत युवा हितग्राहियों के लिये हैं तथा वे योजनायें जिसमें युवाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से ज्यादा है को पृथक रूप से “युवा बजट” के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग विधेयक

25. विधान सभा द्वारा अनुदानों पर विस्तृत चर्चा उपरांत, इस प्रकार की मान्य राशियों और संचित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिये अपेक्षित राशि को संचित निधि से व्यय करने की स्वीकृति विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के अंतर्गत विधान सभा द्वारा अधिनियम बनाए बिना कोई भी राशि संचित निधि से नहीं निकाली जा सकती।